(6)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

## समक्ष

## एस0एस0अली

## सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 395-दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 16-1-2017 - पारित व्दारा - तहसीलदार अशोकनगर - प्रकरण क्रमांक 9 अ-3/2003-04

कमलेश पुत्र भेरूलाल साहू
बार्ड नं.20 आनन्द ठेकेदार
का बगीचा अशोकनगर,म.प्र. ----आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती शीलावाई पत्नि बिजयकुमार जैन
पुराना बाजार मोतीमोहल्ला अशोकनगर ----अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

## आ दे श

(आज दिनांक 01-06-2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 9 अ-3/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 16-1-2017 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार अशोकनगर को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 72, 73 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि ग्राम शॅकरपुर में उसकी भूमि सर्वे नंबर 174/5/1/2 रकबा 1-045 हैक्टर है । भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो, इसलिये कब्जा के अनुसार नक्शा में लालस्याही से पुख्ता बटा नंबर डाला जावे। तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 9 अ-3/2003-04 पॅजीबद्ध किया तथा कार्यवाही आरंभ की। आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन देकर पक्षकार बनाये जाने की

प्रार्थना की तथा राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट दिनांक 2-7-04 की प्रमाणित प्रति अनावेदक को जारी न करने की आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार अशोकनगर ने दोनों पक्षों को सुनकर आदेश दिनांक 26-7-04 पारित किया तथा आवेदक को हितबद्ध पक्षकार न होना मानकर पक्षकार बनाने का आवेदन निरस्त कर दिया। आवेदन ने इस आदेश के विरूद्ध अपर कलैक्टर अशोकनगर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 5/04-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-8-05 से निगरानी स्वीकार कर आवेदक को हितबद्ध पक्षकार होना मानते हुये सुनवाई का अवसर दिये जाने के निर्देश दिये। तहसीलदार अशोकनगर ने पक्षकारों की सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिनांक 15-2-2006 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि के पूर्व में राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये नक्शा तरमीम को निरस्त करते हुये राजस्व निरीक्षक से मौके के अनुसार पेसिंली तरमीम के प्रस्ताव मांगे। आवेदक ने इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 18/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-11-2007 से तहसीलदार अशोकनगर का आदेश दिनांक 15-2-2006 निरस्त कर प्रकरण रजिस्टर्ड विकय पत्र में उल्लेखित सीमाओं अनुसार एंव संलग्न नक्शे के आधार पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया। अपर कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दिनांक 26-11-2007 के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 154/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-2-2016 से अपर कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दिनांक 26-11-2007 निरस्त कर दिया।

तहसीलदार अशोकनगर के यहॉ प्रकरण वापिस होने पर कार्यवाही प्रारंभ की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 एंव व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण कमांक 4 अ 3/2004-05

में आदेश दिनांक 31-12-03 से भूमि का बटांकन हो चुका है जिसमें सुधार केवल अपीलीय न्यायालय कर सकता है इसलिये प्रकरण प्रचलन-योग्य न होने से निरस्त किया जाय। तहसीलदार अशोकनगर ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 16-1-17 पारित किया तथा निर्णीत किया कि आवेदक द्वारा उठाई गई आपत्ति का निराकरण अंतरिम आदेश दिनांक 15-2-06 से किया जा चुका है जिसे अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 26-2-2016 से स्थिर रखा गया है इसलिये आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार अशोकनगर के इसी अंतरिम आदेश दिनांक 16-1-17 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित किये है। आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निर्विवाद है कि ग्राम शॅकरपुर की भूमि सर्वे नंबर 174/5/1/2 रकबा 1-045 हैक्टर की अनावेदक भूमिस्वामिनी है जो उसने पॅजीकृत विकय पत्र 24-11-2003 से कय की है। अनावेदक इसी भूमि को पॅजीकृत विकय पत्र में दर्शाई गई चतुर्सीमाओं अनुसार एंव कब्जे के मान से नक्शे में बटांकित कराना चाहती है जिसके बटॉकित कराने हेतु आवेदन दिनांक 7-4-2004 को प्रस्तुत किया गया है। दिनॉक 7-4-2004 से आज की स्थिति (13 वर्ष 6 माह से अधिक अवधि) तक अनावेदक की भूमि का बटांकन नहीं हो सका है क्योंकि आवेदक बार-बार विभिन्न प्रकार की आपत्तियॉ प्रस्तुत करके वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी करके प्रकरण उल्झाये हुये है इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 154/07-08 निगरानी

में पारित आदेश दिनांक 26-2-2916 के पृष्ठ 5 के अंतिम पॅक्तियों में इस प्रकार निर्णय है :-

> **गैरनिगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण न हो इस हेतु बार बार निगरानी प्रस्तुत कर अनावश्यक रूप से विलंब किया जा रहा है इस बिन्दु पर अपर कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।** अतः अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत न होने से स्थिर रखे जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर अशोकनगर का आदेश दिनांक 26-11-2007 निरस्त करते हुये तहसीलदार अशोकनगर के अंतरिम आदेश दिनांक 15-2-2006 को स्थिर रखा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा पुनः उन्हीं आधारों पर की गई आपत्ति को तहसीलदार अशोकनगर ने आदेश दिनांक 16-1-17 पारित करके निर्णीत किया है कि आवेदक द्वारा उठाई गई आपत्ति का निराकरण अंतरिम आदेश दिनांक 15-2-06 से किया जा चुका है जिसे अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 26-2-2016 से स्थिर रखा गया है इसलिये आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार अशोकनगर द्वारा आदेश दिनांक 16-1-2017 से लिया गया निर्णय इसलिये हस्तक्षेप योग्य नहीं है क्योंकि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश दिनांक 26-2-2016 अपील / निगरानी के अभाव में अंतिम है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 9 अ-3/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 16-1-2017 उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0अही)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर